हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
हडको भवन, आईएचसी, लोधी रोड, नई दिल्ली -110 003

नं.:हडको/पी&एसयू/आरटीआईए-2006 18 मई, **2006**

परिपत्र

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, जिसकी एक प्रति कार्यालय ज्ञापन संख्या हुडको/पीएण्डएसयू/आरटीआईबी-2005 दिनांक 21 जुलाई, 2005 के तहत सभी कर्मचारियों की जानकारी के लिए प्रसारित की गई थी, 12 अक्टूबर, 2005 से पहले ही लागू हो चुका है। उक्त अधिनियम नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रावधान करता है, ताकि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण के तहत सूचना तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको) आवासन एवं शहरी विकास अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है। हडको को अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना तथा आवास एवं शहरी विकास अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है।

सूचना के लिए प्राप्त अनुरोधों से निपटने के लिए एक सुपरिभाषित और पारदर्शी प्रक्रिया प्रदान करने वाले मैनुअल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालाँकि, जब तक सूचना के लिए अनुरोध के दायित्व और उपचार के निर्वहन के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने वाले मैनुअल को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, तब तक हुडको कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित प्रासंगिक जानकारी का प्रसार करना आवश्यक माना जाता है।

1. राइट टू इन्फॉर्मेशन: राइट टू इन्फॉर्मेशन में शामिल :

(i) निरीक्षण, दस्तावेज़, अभिलेख
(ii) नोट्स लेना, दस्तावेज़ या अभिलेख के प्रमाणित प्रतियां के एक्सट्रैक्ट.
(iii) प्रमाणित नमूने का सामग्री लेना
(iv) प्रिंटआउट, डिस्केट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो-कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के रूप में जानकारी प्राप्त करें जहां ऐसी जानकारी उपलब्ध हो। कंप्यूटर पर जानकारी संग्रहीत की जा सकती है या ऐसी सामग्री का प्रिंटआउट लिया जा सकता है।

2. जानकारी से तात्पर्य:

सूचना का तात्पर्य किसी भी रूप में कोई भी सामग्री से है जिसमें अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्तियाँ, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए नमूने, मॉडल, डेटा सामग्री शामिल हैं।

3. आवेदन प्रक्रिया हेतु अनुरोधित जानकारी:

भारत के नागरिकों द्वारा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को सादे कागज पर लिखित रूप में अथवा हिन्दी या अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, जिसमें मांगी गई सूचना का ब्यौरा दिया गया हो तथा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को देय उचित रसीद या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के बदले नकद रूप में दस रुपए का शुल्क भी दिया गया हो। सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना मांगने का

कोई कारण या अन्य व्यक्तिगत विवरण देने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय उनके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

सूचना प्रदान करने के लिए प्रत्येक आवेदन को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ)/केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारियों (सीएपीआईओ) के कार्यालय में रखे जाने वाले एक अलग रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए, जिसमें आवेदक का नाम और पता, आवेदन प्राप्ति की तिथि, आवेदन शुल्क के साथ है या नहीं, संबंधित विभागाध्यक्ष/ सीपीआईओ को आवेदन अग्रेषित करने की तिथि (जैसा भी मामला हो), आवेदक को सूचना प्रदान करने की तिथि आदि जैसे आवश्यक विवरण दर्शाए जाने चाहिए।

4. निर्धारित शुल्क:

(i) धारा 6 की उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना के लिए आवेदन/अनुरोध के साथ रु. 100/- का आवेदन शुल्क संलग्न होना चाहिए।

(ii) धारा 7 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के लिए, आवेदक से उचित रसीद के बदले नकद अथवा आवास एवं नगरीय विकास निगम लिमिटेड को देय डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक के माध्यम से सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत का विनियमन) नियम, 2005 के अनुसार निम्नलिखित दरों पर शुल्क लिया जाएगा:-

(क) निर्मित/प्रतिलिपिकृत (ए-4 अथवा ए-3 आकार के कागज) में प्रत्येक पृष्ठ के लिए 2/- रुपये

(ख) बड़े आकार के कागज में प्रति की वास्तविक लागत मूल्य

(ग) नमूनों अथवा मॉडलों के लिए वास्तविक लागत अथवा मूल्य

(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा; तथा प्रत्येक बाद के घंटे (अथवा उसके बाद के अंश) के लिए 5/- रुपये का शुल्क लिया जाएगा।

(iii) धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के लिए निम्नानुसार शुल्क लिया जाएगा:

(ए) रु.50/- प्रति डिस्केट या फ्लॉपी के लिए जानकारी प्रदान किया डिस्केट या फ्लॉपी में,

{बी) प्रकाशन हेतु मूल्य निर्धारित अथवा रु. 2/- प्रति मुद्रित प्रपत्र में दी गई जानकारी के लिए फोटोकॉपी का पृष्ठ।

(iv) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

(v) यदि सीपीआईओ निर्धारित समय सीमा का पालन करने में विफल रहता है तो आवेदक को निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराई जाएगी।

(नोट: सूचना प्रदान करने के लिए आवेदन शुल्क/धारा 7 की उपधारा (I) के अनुसार लिया जाने वाला शुल्क "आरटीआईए के खाते की रसीद" में जमा किया जा सकता है, जीएल कोड: 071040, एएल कोड: शून्य, एसएल कोड: आवेदन शुल्क, फोटोस्टेट शुल्क, ईडीपी व्यय और निरीक्षण शुल्क (जैसा भी मामला हो)।

5. सूचना देने की समय सीमा:

(i) आवेदन की रसीद की तारीख से 30 दिन।
(ii) किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी के लिए 48 घंटे
(iii) निर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना उपलब्ध न कराना, अस्वीकार माना जाएगा।

6. पहला निवेदन

कोई भी व्यक्ति जिसे सूचना के लिए उसके आवेदन पर निर्दिष्ट समय के भीतर निर्णय प्राप्त नहीं होता है या वह सीपीआईओ के निर्णय से असंतुष्ट है, वह ऐसी अवधि की समाप्ति या ऐसे निर्णय की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी (निदेशक वित्त) के समक्ष अपील कर सकता है।

7. दूसरा निवेदन

अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति निर्णय किए जाने की तिथि से या अपील करने वाले व्यथित व्यक्ति द्वारा वास्तव में प्राप्त किए जाने की तिथि से 90 दिनों के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील कर सकता है।

8. केंद्रीय जानकारी आयोग की शक्ति

केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) को सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय किसी व्यक्ति को बुलाने तथा उसके समक्ष कोई सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त होंगी।

9. दंड

सीआईसी सूचना देने में देरी के लिए प्रत्येक दिन के लिए 250 रुपये का जुर्माना लगा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर 25,000 रुपये से अधिक का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। जुर्माने के अलावा, सीआईसी दोषी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी अनुशंसा कर सकता है।

10. केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी का विवरण, HUJJC<OI :

श्री . पीएम त्रिपाठी
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी /
कार्यकारी निदेशक (प्रबंध सेवाएँ)
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
हडको भवन, आईएचसी, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110 003 फ़ोन:24620353
ई-मेल: pm.tripathi@gmail.com

11. सभी क्षेत्रीय प्रमुखों को केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किया गया है।

12. **अपीलीय प्राधिकारी, हडको का विवरण:**

श्री. टी प्रभाकरन
अपील अधिकार / निदेशक (वित्त)
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
हडको भवन, आईएचसी, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110 003 फ़ोन : 24690478
ई-मेल : t.prabakaran@hudco.org

(ए.के.शन्ना) प्रमुख (विधि और एचआर)

प्रतिलिपि :-
1. सभी ईडी/क्षेत्रीय ईडी(एनई)
2. सभी प्रमुख/क्षेत्रीय चीफ्स
3. जनसंपर्क विंग
4. सीएस
5. एसी(एस) - के लिए प्रविष्टि पर हुडको इंट्रानेट
6. सीनियर कार्यकारी अधिकारी (ओएल) - के लिए हिन्दी अनुवाद
7. इसओ से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
8. इसओ से निदेशक (वित्त)
9. इसओ से सीवीओ
10. आसो को डीसीपी
11. सूचना बो
12. परिपत्र फ़ाइल